संख्या–2436/9–आ–3–98–78 कैम्प/87

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण
उत्तर प्रदेश।

(2) अध्यक्ष/उपाध्यक्ष
समस्त विकास प्राधिकरण
उत्तर प्रदेश।

(3) नियन्त्रक प्राधिकारी/नियत प्राधिकारी,
समस्त विनियमित क्षेत्र,
उत्तर प्रदेश।

(4) आयुक्त
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्
उत्तर प्रदेश।

(5) समस्त जिला अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुमाग–3 लखनऊ : दिनांक 28 अगस्त, 1998

**विषय : उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 एवं उत्तर प्रदेश निर्माण कार्य विनियमन अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत सिनेमा भवनों के मानचित्र की स्वीकृति।**

महोदय,

पुराने सिनेमागृहों को तोड़कर व्यवसायिक काम्पलेक्स बनाये जाने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए जनहित में शासनादेश संख्या–4082/37–3–1987, दिनाँक 10 नवम्बर, 1987 द्वारा यह निर्देश जारी किये गये थे कि सिनेमा भवनों को तोड़कर उसके स्थान पर व्यवसायिक काम्पलेक्स निर्मित किये जाने का **प्रस्ताव मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक उत्तर प्रदेश के माध्यम से शासन को सन्दर्भित किया जायेगा और शासन द्वारा विचारोपरान्त अनुमति दिये जाने के पश्चात् ही व्यावसायिक काम्प्लेक्स का मानचित्र संबंधित प्राधिकरण व विनियमित क्षेत्र क्षरा स्वीकृत किया जायेगा।** सिनेमाहाल को आर्थिक दृष्टि से लाभकारी बनाये जाने के लिए उक्त शासनादेश दिनांक 10 नवम्बर, 1987 पर पुर्नविचार किया गया और तदुपरान्त शासनादेश **संख्या–968/9–आ–3–98–78 कैम्प/87, दिनांक 18 अप्रैल, 1998** द्वारा यह व्यवथा की गयी कि उक्त शासनादेश निांक 10 नवम्बर,1987 को इस शर्त के साथ सम्मिलित कर दिया जाये कि पुराने सिनेमा भवनों को तोड़कर व्यवसायिक काम्प्लेक्स बनाये जाने अथवा सिनेमा भवन परिसर में व्यावयिक निर्माण की अनुमति दिये जाने अथवा नये सिनेमा भवन के साथ व्यवसायिक मानचित्रों के आवेदन–पत्र पर जिलाधकारी को अनापत्ति प्राप्त कर महायोजना व अन्य उप विधियों/विनियमों/नियमों के आधार पर परीक्षण कर सम्बन्धित विकास प्राधिकरण व विनियमित क्षेत्र द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाये अर्थात् मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के माध्यम से शासन के अनुमोदन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। पुनः शासन द्वारा प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने हुतु फिल्म निर्माण को प्रोत्साहन दिये जाने के सम्बन्ध में गहन विचार–विमर्श किया गया और **निर्णय लिया गया कि पुराने छविगृहों को तोड़कर उनके स्थान पर व्यवसायिक काम्प्लेक्स बनाये जाने पर अंकुश लगाया जाना उचित है, इसलिए पुराने सिनेमागृहों का पुर्ननिर्माण नियंत्रित रूप से ही हो, यह सुनिश्चित करने के लिए आवास विभाग के पूर्व शासनादेश दिनांक 10 नवम्बर, 1987 को पुनः प्रभावी करना उचित होगा।**

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासनादेश संख्या–968–9–आ.–3–98–78 कैम्प/87, निांक 18 अप्रैल, 1998 को तात्कालिक प्रभाव से अतिक्रमित करते हुए पूर्व शासनादेश संख्या –4082/37–3–1987, दिनांक **10 नवम्बर, 1987** में निहित व्यवस्था यथावत् प्रभावी को जाती है तथा यह निर्देश दिया जाता है कि पुराने सिनेमा भवनों को तोड़कर उसके स्थान पर व्यवसायिक काम्प्लेक्स अथवास किसी अन्य निर्माण का प्रस्ताव मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश के माध्यम से शासन को सन्दर्भित किया जायेगा और शासन द्वारा विचारोपरान्त अनुमति प्रदान की जायेगी। शासन को अनुमति के पश्चात् ही निर्माण मानचित्र सक्षम स्तर से स्वीकृत किया जायेगा। **परन्तु यदि किसी अन्य उपयोग में लाये जा रहे भूखण्ड पर अथवा नये भूखण्ड पर व्यवसायिक काम्प्लेक्स अथवा सिनेमागृह का निर्णय किया जाना प्रस्तावित हो तो उस प्रचलित नियमों आदि के अर्न्तगत सक्षम स्तर पर विचार कर स्वीकृति दी जा सकती है** तथा उन्हें शासन को उपरोक्तानुसार सन्दर्भित करने की आवश्यकता नहीं होगी। सिनेमाहालो के मालिक यदि सिनेमाहाल जारी रखने के साथ व्यवसायिक काम्प्लेक्स भी बनाना चाहें तो उसे सक्षम स्तर से विचार किया जा सकता है, परन्तु यदि उसे तोड़कर पुनः सिनेमागृह तथा उसके साथ व्यवसायिक काम्प्लेक्स अथवा अन्य कोई निर्माण किया जाना प्रस्तावित हो तो भी उपरोक्तानुसार शासन को सन्दर्भित करना होगा।

कृपया उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

**अतुल कुमार गुप्ता**

(सचिव)

**संख्या–2436(1)/9–आ–3–98–78 कैम्प/87 तद्दिनांक**

उपरोक्त को प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

(1) प्रमुख सचिव, संस्थागत वित्त, उत्तर प्रदेश।

(2) प्रमुख सचिव, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश।

(3) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।

(4) वित्त मनोरंजन कर अनुभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(5) आयुक्त, मनोरंजन कर, उत्तर प्रदेश।

(6) उत्तर प्रदेश आवास बन्धु।

(7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से

**एच. पी. सिंह**

अनु. सचिव